



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26032021-226139  
CG-DL-E-26032021-226139

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1241]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 25, 2021/चैत्र 4, 1943

No. 1241]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 25, 2021/CHAITRA 4, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2021

का.आ. 1345(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, स्ट्रेथेनिंग थे एक्सिस्टिंग कार्रिअगेवय इन km. ११/०-१९/० इन्क्लूडिंग जोमेट्रिकल इम्प्रोवेमेन्ट्स, विडेनिंग ऑफ़ माइनर ब्रिड्जस अत Km. १२/२ & Km. १८/२, कंस्ट्रक्शन ऑफ़ ट्रैस, कंस्ट्रक्शन ऑफ़ ब्रैस्ट वाल, विडेनिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ़ कल्वेर्त्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ़ रेटाइनिंग वाल्स इन कृष्णागिरी - कुप्पम रोड NH-219(New NH-42) इन थे स्टेट ऑफ़ तमिल नाडु में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

## अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH219 पर भूमि का अधिग्रहण।

| क्रमिक संख्या | सक्षम प्राधिकारी                     | भूमि का विवरण                                         | राज्य    | जिले का नाम | तालुक का नाम | गांव का नाम        |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|--------------------|
| 1             | 2                                    | 3                                                     | 4        | 5           | 6            | 7                  |
| 1             | डिस्ट्रिक्ट रेवेनुए ऑफिस, कृष्णागिरी | राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH219 के कि.मी. 11 से 19 तक | तमिलनाडु | कृष्णागिरी  | कृष्णागिरी   | 1 चिन्नमत्तरापल्ली |

[फा. सं. CE-RO/Chennai/MoRTH/12014/68/2020-21]

राजेश गुप्ता, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2021

**S.O. 1345(E).**—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Strengthening the existing carriageway in km. 11/0-19/0 including Geometrical Improvements, Widening of Minor bridges at Km. 12/2 & Km. 18/2, Construction of Drains, Construction of Breast Wall, Widening and Reconstruction of culverts, Construction of Retaining walls in Krishnagiri- Kuppam Road NH-219(New NH-42) in the state of Tamil Nadu.

## SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH219 in the State of TAMIL NADU.

| Sl. No. | CALA                                 | Stretch      | State      | District    | Taluk/Mandal | Name of the Village  |
|---------|--------------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|----------------------|
| 1       | 2                                    | 3            | 4          | 5           | 6            | 7                    |
| 1       | District Revenue office, Krishnagiri | 11KM To 19KM | TAMIL NADU | KRISHNAGIRI | Krishnagiri  | 1 Chinnamattarapalli |

[F. No. CE-RO/Chennai/MoRTH/12014/68/2020-21]

RAJESH GUPTA, Director